गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृत पत्र

पत्रांक 522 /प्रवर्तन जोन–1/2018 दिनांक 19.01.19

सेवा में,

मै० राम श्याम बिल्डर्स प्रा०लि०
द्वारा श्री गजेन्द्र शर्मा, डायेरेक्टर,
डी–06, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, सं०–61,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–201301

विषयः– खसरा संख्या–874 व 877 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या–1218/जी०एम०पी०/जी०एच०/10–11 दिनांक 17.08.2011 से अतिरिक्त निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया खसरा संख्या–.–874 व 877 ग्राम नूरनगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या–1218/जी०एम०पी०/जी०एच०/10–11 दिनांक 17.08.2011 से अधिक किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन/शमन मानचित्र दिनांक 14.09.2016 व का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 30.03.2017 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आपके द्वारा देय शमन शुल्क व अन्य शुल्क रू0 2,42,85,837.00 के सापेक्ष शमन शुल्क पर देय ब्याज सहित व अन्य धनराशि रू0 2,88,39,369.00 (रूपये दो करोड़ अठासी लाख उनतालीस हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र) दिनांक 28.12.2017 से दिनांक 14.12.2018 तक प्राधिकरण कोष में जमा किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है:–

1. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को कियाशील करना होगा।
2. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
3. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी।
4. स्वीकृत मानचित्र संख्या–1218/जी०एम०पी०/जी०एच०/10–11 दिनांक 27.08.2011 के अनुसार पुश्ता रोड़ विस्तार हेतु आरक्षित क्षेत्रफल को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा।
5. भूस्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद–विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र संख्या–1218/जी०एम०पी०/जी०एच०/10–11 दिनांक 27.08.2011 के प्राविधानों एवं शर्तो का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्टिटम का स्थल पर प्राविधान किया जा चुका है।
8. स्वीकृत पार्किंग का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा अन्य कोई उपयोग अनुमन्य नही होगा। विपरीत दशा में प्रदत्त शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मान्य होगी।
9. शमन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 14.09.2016 एवं शपथ–पत्र दिनांक 29.11.2016 की समस्त शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। आवेदक द्वारा यदि अतिरिक्त भूमि पर भविष्य में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित भूमि पर आच्छादन/एफ०ए०आर० स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो तदसमय प्रचलित दरो के अनुसार अन्य समस्त देय शुल्क यथा मेट्रो सैस, एलीवेटेड रोड़ सैस प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

Scanned by CamScanner

10. भवन की भूकम्प से सुरक्षा/भूकम्परोधी निर्माण के सन्दर्भ में साईट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटैक्ट व विकासकर्ता द्वारा सयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है। शमन मानचित्र निर्गत हो जाने से पूर्व विकासकर्ता को आई0आई0टी0 से प्रतिहस्ताक्षरति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 29.11.2016, 18.07.2018 व 20.07.2018 का अनुपालन करना होगा।

12. शर्त 01 से 10 तक साईट प्लाज के पृष्ठ भाग पर चस्पा है।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

संलग्नकः शमन मानचित्रों की प्रतियॉ।

उपरोक्तानुसार

भवदीय

(प्रशान्त गौतम)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–1

Scanned by CamScanner